अधिसूचना

समस्तीपुर, 16 अगस्त, 2023

अध्यादेश

क्रमांक : 414**/डॉ.रा.प्र.के.कृ.वि.(भी.सी.), पूसा.**—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के दिनांक 28.10.2021 को सम्पन्न हुई 16वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक रचनातंत्र स्थापित करने के संबंध में पत्रांक 5-42/2021-सीएयू (ई-4658), दिनांक 31 जुलाई, 2023 के द्वारा अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है जो निम्नवत है :-

(क) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के एक पदाधिकारी को दो वर्ष की अवधि के लिए शिकायत पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा।

(ख) संबंधित कर्मचारियों (शैक्षणिक, अनुसचिवीय एवं तकनीकी) को यदि विश्वविद्यालय से कोई शिकायत है तो वे सभी पुष्टिकारक लेख्य पत्रों के साथ विश्वविद्यालय शिकायत पदाधिकारी को अभ्यावेदन दाखिल करेंगे।

(ग) शिकायत पदाधिकारी संबंधित संस्थानों/अनुभागों के प्रधान को एक अनुरोध के साथ अभ्यावेदन को अग्रसारित करेंगे कि यदि यह मामला नियमानुकल है तो इसकी जाँच कर मामले का समाधान करें और शिकायत पदाधिकारी को पूर्ण प्रमाणिकता के साथ एक प्रतिवेदन समर्पित करें।

(घ) कुलपति द्वारा एक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे-

(i)	दो वर्ष की अवधि के लिए कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता/निदेशकों में से कोई एक	-	अध्यक्ष
(ii)	कुलसचिव	-	सदस्य
(iii)	नियंत्रक	-	सदस्य
(iv)	उप-कुलसचिव (स्थापना)	-	सदस्य
(v)	शिकायत पदाधिकारी	-	सदस्य सचिव
(vi)	समिति के अध्यक्ष के द्वारा शिकायत के मामले से सम्बंधित संस्था के अध्यक्ष को सहयोजित कर सकते हैं।	-	वैकल्पिक सदस्य

(ङ) वैसे सभी मामले जिनका शिकायत पदाधिकारी के स्तर से निराकरण नहीं होता है उसे समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(च) जरूरत के अनुसार शिकायत करने वाले सम्बंधित कर्मचारी को भी व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने के लिए मौका दिया जाएगा।

(छ) शिकायत समिति की बैठक महीनें में एक बार होगी।

(ज) समिति के प्रतिवेदन को कुलपति के समक्ष रखा जाएगा।

(झ) अन्य पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/जन जाति/महिला कर्मचारी के शिकायतों का निराकरण संबंधित कोषांग द्वारा किया जाएगा।

अतः, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधिनियम, 2016 (2016 का 32) के खंड - 28(1) की उप-खंड (p) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) की पिछली मंजूरी के साथ ही मैं, कुलपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, एतद्द्वारा प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक रचनातंत्र की स्थापना से संबंधित प्रावधानों को जैसा की उपरोक्त विदित है, को अधिसूचित करता हूँ ।

पुन्यव्रत सुविमलेन्दु पाण्डेय, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./510/2023-24]

NOTIFICATION

Samastipur, the 16th August, 2023

ORDINANCE

No. 414/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education as per resolution passed by the Board of Management in its 16th meeting held on 28.10.2021 has approved to make an Ordinance regarding the setting up of a mechanism for redressal of grievances of employees

IndiaCode

of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pasavide No. 5-42/2021-CAU (e-4658) dated 31st July, 2023 as under:

(a) An Officer of the University shall be nominated as Grievance Officer by the Vice-Chancellor for a period of two years.

(b) The concerned employees (teaching, ministerial and Technical), have any grievance(s) with the University he/she will file a representation with all supporting documents to the Grievance Officer of the University.

(c) The Grievances Officer shall forward the representation to the concerned Head of the Institutions/Sections with a request to examine and settle the issue if it is under rules and submit a report with full justification to the Grievance Officer.

(d) A Grievance Committee shall be constituted by the Vice-Chancellor consisting of the following:

(i) One of the Deans/Directors to be nominated by the Vice-Chancellor for a period of two years-as -Chairman.

(ii) Registrar-Member

(iii) Comptroller-Member

(iv) Deputy Registrar(Estt.)- Member

(v) Grievances Officer-Member-Secretary

(vi) The Chairman of the Committee may co-opt the head of the institution from where the matter pertains.

(e) All those matters which could not be settled at the level of Grievances Officer shall be placed before the Committee.

(f) The concerned employees will also be given the chance to be heard in person if so required.

(g) The meeting of the Grievances Committee shall be held once in a month.

(h) The report of the Committee shall be placed before the Vice-Chancellor.

(i) For grievances related to OBC/SC/ST/Women employees, it will be dealt by respective cells.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (p) of Section 28(1) of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr.

Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa do hereby make the first Ordinance and notify setting up of a mechanism for redressal of grievances of employees in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa as above.

PUNYAVRAT SUVIMALENDU PANDEY, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./510/2023-24]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.